<u>न्यायालय, अवर न्यायाधीश बनमनखी (पूर्णियाँ)</u>

T.S-8/2019

28.07.2022 वादी एवं प्रतिवादी सं0–29 एवं 30 की ओर से हाजरी है।

वाद प्रतिवादी सं0–29 एवं 30 की ओर से दिनांक–08.04.2022 को एक पक्षीय आदेश को Recall करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया, जिसका प्रतिउत्तर वादी के द्वारा दिनांक–30.06.2022 को दाखिल किया गया। अभिलेख प्रतिवादी के द्वारा दिनांक–08.04.2022 के दाखिल आवेदन पर सुनवाई कर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी सं0–29 एवं 30 की ओर से कथन किया गया कि वादी के द्वारा दाखिल वाद संयुक्त संपत्ति से संबंधित है, जिसमे प्रतिवादी आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादी अधिक उम्र एवं बीमार रहने के कारण समय से न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सके। प्रतिवादी अपने बच्चो पर आश्रित रहते है। प्रतिवादी पर सम्मन का सम्यंक तामिला नही होने कारण न्यायालय में उपस्थित नही हुए, जिसके कारण प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक–03.02.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक–03.02.2020 को पारित एक पक्षीय आदेश को न्यायहित में Recall करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी के द्वारा दाखिल आवेदन का वादी के द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल कर Recall आवेदन का विरोध किया गया। वादी का कथन है कि प्रतिवादी के विरूद्ध निर्गत सम्मन का तामिला अभिलेख पर उपलब्ध है। इस वाद के कुछ प्रतिवादी उपस्थित हो गये है। प्रतिवादी को इस वाद की पूर्ण जानकारी थी, प्रतिवादी जानबूझ कर इस वाद मे विलंब कारित करने के उद्वेश्य से उपस्थित नही हो रहे थे। अतः प्रतिवादी द्वारा दिनांक–08.04.2022 के आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक–03.02.2020 को एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। प्रतिवादी उपस्थित हो गये है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी बीमार रहने और बूढ़े होने के कारण उपस्थित होने मे विफल रहे। ऐसी स्थिति मे प्रतिवादी के आवेदन दिनांक–08.04.2022 को मो0 1000/– रूपये खर्च पर **<u>स्वीकृत</u>** किया जाता है।

वाद दिनांक–22.08.2022 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित

s/d

अवर न्यायाधीश